



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)



(दूरभाष नं. 0141-2227229, ईमेल आईडी : pdme2k.rdd@rajasthan.gov.in)

पत्र क्रमांक प. 1(113)ग्रावि/अनु.-8/2016/पार्ट-।।।

जयपुर, दिनांक :- 26/08/2020

:संशोधित बैठक सूचना:

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परफोरमेन्स रिव्यू कमेटी (PRC) की दिनांक 24-28 अगस्त, 2020 आयोजित बैठक के तृतीय दिवस दिये निर्देशानुसार विभागीय समसंख्यक बैठक सूचना दिनांक 21.08.2020 में आंशिक संशोधन करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निर्देशन में ग्रामीण विकास सभागार कमरा नं. 8124, उत्तरी-पश्चिमी भवन में दिनांक 27-28 अगस्त, 2020 को वीसी में निम्नानुसार संबंधित अधिकारी/योजना प्रभारी भाग ले सकेंगे।

क्र.सं.	दिनांक एवं समय	योजना	विभागीय प्रतिनिधि
1.	27.08.2020 10:00 AM - 01:45 PM	NRLM	1. विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास। 2. स्टेट मिशन निदेशक, स्वयं सहायता समूह एवं आजीविका परियोजनाएं। 3. परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव (मों. एवं मू.), ग्रामीण विकास।
		DDU-GKY	1. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम। 2. DGM and OIC, DDUGKY, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम। 3. Manger 1, DDUGKY, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम।
2.	28.08.2020 10:00 AM - 01:45 PM	DISHA IT	1. विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास। 2. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास। 3. सीनियर टेक्नीकल निदेशक, NIC। 4. सांइटिस्ट-बी, NIC। 5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर एवं उपनिदेशक, ग्रामीण विकास।

(हितबल्लभ शर्मा) 26/08/2020

परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मों. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं PRC में भाग लेने हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास।।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम।
3. निजी सचिव, स्टेट मिशन निदेशक, आजीविका परियोजनाएं एवं स्वयं सहायता समूह।
4. परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव (मों. एवं मू.), ग्रामीण विकास।
5. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास।
6. श्रीमती सुनिता जैन, सीनियर टेक्नीकल निदेशक, NIC।
7. श्रीमती स्मृति, सांइटिस्ट-बी, NIC।
8. श्री मुकेश कुमार वर्मा एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक), ग्रामीण विकास।
9. परियोजना अधिकारी (प्रशासन) को सभागार एवं जलपान की व्यवस्थार्थ।

परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मों. एवं मू.)